

165

P- 467-F17

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र./...../.....

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - श्री हरिलाल तेकाम पिता स्व.श्री डुमारीलाल तेकाम (गौड़)
निवासी-समाधि रोड, हिनौतिया टोला,बरहा तहसील व जिला जबलपुर।

विरुद्ध -

अनावेदक - 1. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

दिनांक 3.2.17
का श्री को.सी.
धारा को.सी.
द्वारा कलेक्टर
जबलपुर

O.P. Sharma
53-2-17

- माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 80/अ-21/2016-17 में पारित अंतरिम आदेश दि. 31/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।
- यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी हरिलाल तेकाम पिता श्री डुमारीलाल तेकाम (गौड़)निवासी समाधि रोड, हिनौतिया टोला,बरहा तहसील व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम हिनौतिया प.ह.नं. 73 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 585 रकबा 1.280हेक्टेयर में से 0.800हेक्टेयर भूमि विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 06.01.2017 (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
- प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक को उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि सिंचित है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई थी, आवेदक के साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो रहा है और भूमि विक्रय से आदिवासी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
- आवेदक श्री हरिलाल तेकाम द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत आवेदन पत्र में लेख किया है कि उसे अन्य उपजाऊ भूमि क्रय करना चाहता है जिसके कारण वह उक्त भूमि विक्रय करना आवश्यक है। जिस गैर आदिम जनजाति सदस्य की राशि वर्तमान गाइड लाइन से भूमि की कीमत अधिक होगी, उसे तदनुसार वर्तमान गाइड लाइन वर्ष के अनुसार आवेदक आदिवासी को भूमि की कीमत का भुगतान किया जायेगा। प्रकरण में पेशी दिनांक 21.02.2017 नियत की गई। दिनांक 31.01.2017 को आवेदक स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण में शीघ्र सुनवाई किये जाने हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया , जिसे कलेक्टर महोदय ने यह लेख कर कि आवेदक पक्ष द्वारा प्रकरण की शीघ्र सुनवाई हेतु आवेदित कारण के संबंध में कोई दस्तावेज अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये है, साथ ही रूपयों की आवश्यकता के संबंध में कोई समझौता/प्रमाण तर्क /दस्तावेज साथ पेश नहीं किया गया है। अतः शीघ्र सुनवाई हेतु कोई आधार

P/S

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 467-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-2-17	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 80/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 31-1-17 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक की ग्राम हिनोतिया प.ह.नं. 73 रा.नि.मं. खमहरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 585 रकबा 1.280 हेक्टर में से 0.800 हेक्टर को विक्रय करने की अनुमति संहिता की धारा 165(6) के तहत दिए जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण दिनांक 6-1-17 को पंजीबद्ध कर दिनांक 24-2-17 के लिए ग्राह्यता पर तर्क हेतु नियत किया गया। इसके उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष दिनांक 31-1-17 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया जाकर प्रकरण पूर्ववत दिनांक 21-2-17 के लिए नियत किया गया है। कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है। कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और लंबी पेशी नियत कर दी गई है। आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की भूमि</p>	

R
AS

-3-
R 467 5/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पत्रकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>नहीं है बल्कि आवेदक की स्वअर्जित भूमि है । आवेदक की समाज के व्यक्ति भूमि को कय करने को तैयार नहीं है । आवेदक को कर्ज अदा करने आदि के कारण रूपयों की आवश्यकता है । आवेदक की भूमि विक्रय करने के संबंध में बात गैर आदिम जनजाति के कुछ व्यक्तियों से चल रही है परंतु वे भूमि मिलने के उपरांत ही भूमि कय करने की बात कह रहे हैं । जिलाध्यक्ष द्वारा प्रकरण में ग्राह्यता पर तर्क के लिए लंबी पेशी नियत कर दी गई है जबकि आवेदक द्वारा जो आधार दिए गए हैं वे भूमि विक्रय की अनुमति देने हेतु पर्याप्त हैं । अंत में उनके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने का निवेदन किया गया है । आवेदक की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की है जो उसके द्वारा कय की गई है उक्त भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है । आवेदक उक्त भूमि को विक्रय कर दूसरी उपजाऊ जमीन कय करना चाहता है । आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है, उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा संहिता की धारा 165 (6) के तहत भूमि विक्रय की अनुमति चाही गई है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए इस प्रकरण में उनको भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम हिनोतिया प.ह.नं. 73 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर</p>	

CM


R
1/14

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग० 467-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>R/S</p>	<p>स्थित भूमि खसरा नं. 585 रकबा 1.280 हेक्टर में से 0.800 हेक्टर भूमि की अनुमति संहिता की धारा 165 (6) के तहत गैर आदिम जनजाति के सदस्य को निम्न शर्तों के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा <p>निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।</p> <p style="text-align: right;">  (एम०के० सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर </p>	